# न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

**रिव्यू प्रा.पत्र संख्या– 61/17** **सन् 2017**

**आरसीएमएस संख्या 2017/000253**

बउनवानी :–आम जनता ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जरियेः–

1. नागाराम पुत्र गिरधारी जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
2. कमलसिंह पुत्र कनीराम जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
3. रामपुरी पुत्र बृजमोहन जाति गोस्वामी निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
4. केलाश पुत्र धन्ना जाति कुम्हार निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
5. मदन पुत्र देव्या जाति बैरवा, निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
6. भैरूलाल पुत्र रामनाथ जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
7. हनुमान पुत्र बजरंग जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
8. रामस्वरूप पुत्र रामपाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
9. प्रीतम पुत्र हरिनारायण जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार
2. उपजिला कलेक्टर खण्डार
3. ग्राम पंचायत गोठडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार

(रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू किये जाने आदेश क्रमांक प.12(47)महाविद्यालय राजस्व/14/2779–88 दिनांक 5.6.2014 अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.वास्ते)

उपस्थित : 1. श्री हरिमोहन जाट वकील प्रार्थीगण

2. श्री महावीर जाट पैरोकार राजस्व

**–: निर्णय :–** **दिनांक 17.6.2019**

प्रार्थीगण की ओर से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प.12(47)महाविद्यालय राजस्व/14/2779–88 दिनांक 5.6.2014 के विरूद्व इस कथन के साथ पेश किया गया है कि उक्त आदेश आम जनता को सुने बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थीगण को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवायी हेतु तलब किया गया एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र से संबंधित तहसीलदार खण्डार एवं राजस्व अनुभाग की मूल मिसल तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार राजस्व सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्रांक रीडर/आवं/प्रस्ताव/14/1520 दिनांक 11.2.2014 से ग्राम जयसिंहपुरा की ख0न0 4 रकबा 10.03 बीघा गै.मु. आबादी भूमि को राजकीय महाविद्यालय खण्डार को आवंटन हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाये गये थे। जिसपर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.12(47)महाविद्यालय राजस्व/14/2779–88 दिनांक 5.6.2014 से उक्त भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय कार्यालय एवं भवनों के निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्व. प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त भूमि का आवंटन) नियम,1963 के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है। उक्त कार्यवाही तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट पर तथ्यों के विपरीत थी जिसपर श्रीमान द्वारा बिना जॉच एवं बिना आम जनता को सुने ही आदेश दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया उक्त आरक्षित की गयी भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 मे इन्द्राज मौके की स्थिति के अनुसार 50 वर्षो से दर्ज चला आ रहा है तथा उक्त ख0न0 पर ग्रामीणों के बाडे बने हुए है तथा ग्राम वासियों के पूर्वज रहते चले आ रहे है। वर्तमान में आवश्यकता बढने के साथ कुछ मकान ग्राम जयसिंहपुरा में बना लिये है, परन्तु ग्राम वासियों की मेवेशियो एवं कृषि उपकरण अभी भी

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ख0न0 4 मे ही रखे जाते है। यह तर्क भी दिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने राजनैतिक द्वेषता पूर्वक गलत तथ्य अंकित कर तहसीलदार एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार से गलत रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करवाकर उक्त आदेश पारित करवाया गया है जबकि वर्तमान ग्राम पंचायत के तथ्यों के आधार पर नवीन प्रस्ताव में ख0न0 4 पूर्ववत गैर मुमकिन आबादी ही दर्ज रखने का जिक्र किया गया है क्योंकि उक्त भूमि के अतिरिक्त 329 बीघा 10 बिस्वा राजकीय भूमि ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। जो राजकीय भवन हेतु आरक्षित की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वर्ष 2015–16 की बजट घोषणाओं की समयबद्व एवं प्रभावी कियान्विति के क्रम में तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्रांक रीडर/आवं/प्रस्ताव/14/1520 दिनांक 11.2.2014 से राजकीय महाविद्यालय खण्डार को भूमि आवंटन हेतु ग्राम जयसिंहपुरा की ख0न0 4 रकबा 10.03 बीघा गै.मु. आबादी भूमि के प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाये गये थे तथा प्रस्ताव के साथ संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पटवारी रिपोर्ट जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं विवाद नही होना बताये जाने पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने नियमानुसार कार्यवाही कर अपने आदेश क्रमांक प. 12(47)महाविद्यालय राजस्व/14 /2779–88 दिनांक 5.6.2014 से उक्त भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय कार्यालय एवं भवनों के निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्व. प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त भूमि का आवंटन) नियम,1963 के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है। क्योंकि उक्त आदेश से आरक्षित की गयी भूमि ग्राम पंचायत की थी जो ग्राम पंचायत की अनापत्ति के उपरान्त ही कॉलेज हेतु आरक्षित की गयी है। प्रार्थीगणों का उक्त भूमि पर यदि कोई कब्जा है तो अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी मे आता है जिसके आधार पर उक्त आदेश निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थीगणो द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज भी पेश नही किया गया जिसके आधार पर विवादित भूमि पर उनका किसी प्रकार का हित प्रभावित होता हो। अतः प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ, कि राज्य सरकार की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणाओं की समयबद्व एवं प्रभावी कियान्विति के क्रम में तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्रांक रीडर/आवं/प्रस्ताव/14/1520 दिनांक 11.2.2014 से राजकीय महाविद्यालय खण्डार को भूमि आवंटन हेतु ग्राम जयसिंहपुरा की ख0न0 4 रकबा 10.03 बीघा गै.मु. आबादी भूमि के प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय को भिजवाये गये थे। प्रस्ताव के साथ संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पटवारी रिपोर्ट जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं विवाद नही होना बताये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आदेश क्रमांक प.12(47)महाविद्यालय राजस्व/14 /2779–88 दिनांक 5.6.2014 से उक्त भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय कार्यालय एवं भवनों के निर्माण हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्व. प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त भूमि का आवंटन) नियम,1963 के अन्तर्गत आरक्षित की गयी है तथा उक्त आरक्षित भूमि पर प्रार्थीगणो का कोई विधिक अधिकार नही होने के कारण उक्त आदेश में किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रृटि प्रतीत नही होती है। अतः उक्त आदेश के संबंध में पुनः विचार किये जाने का कोई औचित्य नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश क्रमांक प.12(47)महाविद्यालय राजस्व/14 /2779–88 दिनांक 5.6.2014 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

( डॉ0एस0पी0सिंह )
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:41:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: